न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 56/2017

पवन कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन बाण्डीवाला तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।

प्रार्थी

बनाम

1. शान्ति देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी स्व. प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन बाण्डीवाला तहसील व जिला फाजिल्का।
2. सुलोचना उम्र 46 वर्ष पुत्री स्व. प्रेमचन्द पत्नी शंकरलाल जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड नं.05 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मैना उम्र 44 वर्ष पुत्री स्व. प्रेमचन्द पत्नी विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. माया उम्र 33 वर्ष पुत्री स्व. प्रेमचन्द पत्नी विजय कुमार जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड नं.20 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सुमन उम्र 29 वर्ष पुत्री स्व. प्रेमचन्द पत्नी छगनलाल जाति ब्राहम्ण साकिन रातुसर दो तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. शिमला देवी पुत्री स्व. लूणाराम पत्नी द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण साकिन अनोपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. मंजूबाला उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व. विमला देवी पत्नी जनकलाल जाति ब्राहम्ण साकिन ढ़ाबा तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. भागवन्ती उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व. विमला देवी पत्नी विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण साकिन 3 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

9. सुभाष उम्र 30 वर्ष	पुत्रगण स्व. विमला देवी जाति ब्राहम्ण
10. रूपराम उम्र 27 वर्ष	साकिन 2 एलएम तहसील अनुपगढ़
11. गणेशा उम्र 27 वर्ष	जिला श्रीगंगानगर।

12. तुलछी देवी पुत्री स्व. लूणाराम पत्नी रामप्रताप जाति ब्राहम्ण साकिन रसालिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अधिवक्तागण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक — प्रार्थी
2. श्री जसपाल सिंह दहिया — अप्रार्थी सं. 12

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 11/08/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पूर्ण सम्भावना है। यह कि सजरा खानदान पक्षकारान प्रस्तुत किया गया है। यह कि लूना–ख्याली पिसरान प्रहलाद जाति ब्राहम्ण के नाम से चक 5 एनएसडब्ल्यू के प.नं. 39/337 (14) किला नं. 1 ता 25/2 की 6.072 हैक. कमांड मय खाला, प.नं. 42/342 (39) किला नं. 1 ता 25/2 की 6.199 हैक. कमांड अनकमांड कुल तादादी 12.271 हैक. कमांड अनकमांड मय खाला भूमि ब.हि. ब. दर्ज राजस्व अभिलेख थी। प्रार्थी के दादा श्री लूनाराम के फौत होने के 33 वर्ष बाद इनका 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 12 नें विरास्तन सुगनी पत्नी लूना, प्रेमचन्द पुत्र लूना, तुलछी – विमला पुत्रीयां लूना के नाम ब.हि. ब. राजस्व अभिलेख में अकंन करवा दिया। चित्रप्रति जमाबंदी चक 5 एनएसडब्ल्यू सं. 2072 से 2075 सलगंन प्रार्थना पत्र है।

यह कि लूनाराम पुत्र प्रहलाद सन 1983 व सुगनी पत्नी लूनाराम सन 1990, प्रेमचन्द पुत्र लूनाराम दिनांक 27.01.2015, विमला देवी पुत्री लूनाराम दिनांक 29.12.2012 को फौत हो चुके है। प्रेमचन्द के वारीस प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 ता 5, विमला देवी के वारीस अप्रार्थी सं. 7 ता 11 है।

यह कि श्रीमति सुगनी देवी के फौत होने के बाद अप्रार्थी सं. 6 शिमला देवी, 12 तुलछी देवी, विमला देवी पुत्री लूनाराम नें अपना समस्त हिस्सा अपने भाई प्रेमचन्द के पक्ष में हक छोड़ दिया था। उन्होने इस भूमि में कोई हिस्सा नही लिया। प्रार्थी के पिता श्री प्रेमचन्द जो दादा श्री लूनाराम के फौत होने के बाद से इस समस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। दादी सुगनी देवी के फौत होने पर प्रेमचन्द की बहनो नें अपने भाई प्रार्थी के पिता प्रेमचन्द के पक्ष में मौखिक अपना समस्त हिस्सा हक त्याग कर दिया था। इसलिये इस भूमि पर पिता श्री प्रेमचन्द बतोर खातेदार एकल स्वामित्व धारण करते हुए काश्त करते रहे है। इसलिये इस समस्त भूमि के प्रेमचन्द अकेले हकदार व खातेदार है।

यह कि पिता श्री प्रेमचन्द दिनांक 27.01.2015 को फौत हो चुके है। उनके फौत होने के बाद अप्रार्थी सं. 1 ता 5 जो प्रार्थी की माता व सगी बहिने है उन्होने अपना समस्त हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में छोड़ दिया है। वे इस भूमि में कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। इसलिये इस भूमि पर प्रार्थी अकेला एकल स्वामित्व धारण करते हुए काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

यह कि प्रशनगत प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं.1 ता 12 का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी इस भूमि का अकेला हकदार है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में यह भूमि अभी मृतक दादा श्री लूनाराम के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है।

यह कि प्रशनगत भूमि दादा श्री लूनाराम के नाम दर्ज थी। लूनाराम की पुत्रीयों नें सुगनी देवी पत्नी लूनाराम के फौत होने के बाद अपना समस्त हिस्सा अपने भाई प्रेमचन्द के पक्ष में छोड़ दिया था। तुलछी देवी, विमला व शिमला पुत्रीया लूनाराम का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है परन्तु अप्रार्थी सं. 12 कुछ समय से बिना कारण मुझ प्रार्थी से नाराज है। इसलिये बिना कब्जा काश्त के एवं मृत व्यक्ति प्रेमचन्द व विमला पुत्री लूनाराम, सुगनी देवी पत्नी लूनाराम व तुलछी देवी नें प्रार्थना पत्र पेश कर गलत तौर से सन 2016 में नामान्तरण दर्ज करवा लिया जबकि इस नामान्तरण से पूर्व ही प्रेमचन्द वगैरा फौत हो चुके थे। इसलिये मृत व्यक्ति के खिलाफ एवं बगैर कब्जा काश्त के नामान्तरण दर्ज नही किया जा सकता। इस गलत नामान्तरण के आध र पर तुलछी देवी प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने एवं भूमि को अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बेय कर ... करने पर आमादा है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को ... व अपूरणीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी अस्थाई निषेध आज्ञा विरूद्व अप्राथीगण प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि वे तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के प.नं. 39/337 (14) किला नं. 1 ता 25/2 की 6.072 हैक. कमांड मय खाला, प.नं. 42/342 (39) किला नं. 1 ता 25/2 की 6.199 हैक. कमांड अनकमांड कुल तादादी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

12.271 हैव. कमांड अनकमांड मय खाला भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इकबाल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि –

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। सुगनी देवी के फौत होन के बाद अप्रार्थी संख्या 6 व 12 व विमला देवी पुत्री लुनाराम ने अपना समस्त हिस्सा प्रार्थी के पिता प्रेमचन्द के पक्ष में हक छोड़ दिया था। श्री प्रेमचन्द प्रार्थी के दादा श्री लूनाराम के फौत होने के बाद इस समस्त भूमि पर काबज होकर काश्त करते रहे है। इस भूमि पर पिता श्री प्रेमचन्द बतोर खातेदार एकल स्वामीत्म धारण करते हुए काश्त करते रहें है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 स्वीकार है। पिता श्री प्रेमचन्द के फौत होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपना समस्त हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में छोड़ दिया इस समस्त भूमि पर प्रार्थी अकेला स्वामित्व धारण करते हुए काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 स्वीकार है। लूणा राम की पुत्रियों ने सुगनी देवी के फौत होने के बाद अपना समस्त हिस्सा अपने भाई प्रेमचन्द के पक्ष में छोड़ दिया था। तुलछी देवी विमला शिमला पुत्रिया लूणा राम का इस भुमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। विमला तुलछी देवी व शिमला द्वारा 2016 में जो नामान्तरण दर्ज करवाया गया है वह गलत है। अत– इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि –यह कि प्रार्थी/प्रार्थी का उक्त अनवान का दावा श्री मान जी के न्यायालय में जेरकार है जिसमें प्रार्थी की कोई कामयाबी नहीं हेगी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज सजरा खानदान अंकित होनें से सिद्ध भार प्रार्थी का है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 5 एन एस डब्ल्यू का प न. 39/337 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 25/2 की 6.072 है. कमाण्ड मय खाला, प.न. 42/342 मु.न. 39 कि.न. 1 ता 25/2 की 6.199 है. कमाण्ड अनकमाण्ड कुल 12.271 है. कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा मुझ अप्रार्थीया के पिता लूणा पुत्र प्रहलाद के फौत होने से जरिये विरास्तन इन्तकाल चक 5 एन एस डब्ल्यू इन्तकाल 177 दिनांक 13.6. 2016 को उक्त लूणाराम के वारिसान सुगनी पत्नि लूणा, प्रेमचन्द पुत्र लूणा, तुलछी, विमला, शिमला पत्रियां लूणा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ जिसमें उक्त सुगनी पत्नि लूणा के स्वर्गवास होने से उक्त चक 5 एन एस डब्ल्यू की 12.271 है. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा पाने की मुझ अप्रार्थीया कानूनन हकदार है व अपने उक्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर मुझ अप्रार्थीया काब्ज काश्त चली आ रही है। इसी कृषि भूमि के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 15 ए ए ए का प्रकरण सं. 220/89 अनवान लूणा, ख्याली पि. प्रहलाद जाति ब्राहम्ण बनाम तहसीलदार उपनिवेशन [illegible] माननीय न्यायालय एस डी एम सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 25/10/89 को आदेश पारित किया गया जिसमें मुझ अप्रार्थी न. 12 को उक्त अनुसार खातेदारी अधिकार [illegible] अप्रार्थीया के नाम टी आर ए सेल रजिस्टर में भी अंकन हुआ है। उक्त [illegible] अप्रार्थी न. 12 तुलछीदेवी अपनी उक्त कृषि भूमि 12.271 है. के 1/2 हिस्सा में से 1/[illegible] हिस्सा की रिकॉर्डेड मालिक व खातेदार व काब्ज काश्त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की दफा 3 में शिमला पुत्री लूणा के नाम कृषि भूमि नहीं दर्शा कर कानूनी भूल की है जो अक्षमय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 का सिद्ध भार प्रार्थी का है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी ने तमाम तथ्य निराधार वर्णित किये है। मुझ अप्रार्थी न. 12

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तुलछीदेवी ने अपना हक व हिस्सा को अपने भाई प्रेमचन्द या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं छोड़ा है व ना ही उक्त समस्त कृषि भूमि पर प्रेमचन्द अकेला का कब्जा रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 का सिद्ध भार प्रार्थी का है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी न. 12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कृषि भूमि एंव कब्जा काश्त व हक व हिस्सा की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। एंव प्रार्थी मुझ अप्रार्थी न. 12 के उक्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि में से किसी प्रकार की कोई घोषणा पाने का हकदार नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। क्योंकि उक्त स्वर्गीय लूणा के वारिसान के नाम विरास्तन ईन्तकाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया है। जिसमें मुझ अप्रार्थीया की कोई चालाकी एंव कोई भूमिका नहीं रही है। प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित इन्तकाल प्रार्थी ने ही दर्ज करवाया है। जिसके खिलाफ प्रार्थी कथन करने का हकदार नहीं है। मुझ अप्रार्थीया अपने हक व हिस्सा की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार है व अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर अप्रार्थीया न. 12 काब्ज काश्त चली आ रही है। जिसका मुझ अप्रार्थीया अपनी सुविधा से उपोग व उपभोग करने को स्वतन्त्र है । प्रार्थी के पक्ष में अपूर्णीय क्षति व सुविधा के सन्तुल नहीं है व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।अतः उपरोक्त अनुसार मुझ अप्रार्थी न. 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 का इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा का विरासतन राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है जो कि अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा गलत तरीके से मृत व्यक्तियों के नाम भी दर्ज किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा पुख्ता आवंटन का है खातेदार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 12 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका विरासतन नामांतरकरण किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 के नाम जमाबंदी में नामान्तकरण दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत रकबा प्रार्थी के कब्जा कश्त में है। प्रश्नगत रकबा पुख्ता आंवटन गैर खातेदारी रकबा है इस लिए रिकार्डेड खातेदार को प्राप्त अधिकारों के अनुरूप स्थाई व्ययादेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है नहीं होती है इसलिए स्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

Signature Not Verified

यह आदेशा आज दिनांक 11/09/25 [illegible] सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल [illegible]

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा